"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 363] रायपुर, बुधवार, दिनांक 25 मई 2022 — ज्येष्ठ 4, शक 1944

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 23 मई 2022

अधिसूचना

कमांक एफ 6–193/2022/मबावि/50. – राज्य सरकार, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के सर्वांगीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए, एतद्द्वारा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 2) की धारा 3 में उल्लिखित मूलभूत सिद्धांतों के मार्गदर्शन में सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों के उचित पुनर्वास हेतु निम्नानुसार नीति बनाती है :–

सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों हेतु पुनर्वास नीति, 2022

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ.**– (1) यह नीति, सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों के लिये पुनर्वास नीति, 2022 कहलायेगा, जिसे "बाल सक्षम" के रूप में जाना जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएं.** – इस नीति में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "बालक" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जिसने अट्ठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो;

(ख) "सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों/(सीआईएसएस)" से अभिप्रेत है कोई बालक जो,–

(1) सड़क जैसी परिस्थितियों में, बिना किसी सहयोग के, अकेले रहता है;

(2) सड़क जैसी परिस्थितियों में अपने परिवार के साथ रहता है; और

(3) दिन में सड़क जैसी परिस्थितियों में और रात को अपने परिवार, जो पास की झुग्गी/झोपड़ियों में रहते है, के साथ घर में रहता है।

(ग) "बालक का सर्वोत्तम हित" से अभिप्रेत है बालक के बारे में किए गए किसी विनिश्चय का आधार, जिससे उनके मूलभूत अधिकारों और आवश्यकताओं की पूर्ति, पहचान, सामाजिक कल्याण तथा भौतिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास किया जाना सुनिश्चित हो।

3. उद्देश्य.– इस नीति के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:–

(1) सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों के देखरेख और संरक्षण हेतु सीआईएसएस–एसओपी 2.0 (राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया) का प्रभावी क्रियान्वयन।

(2) सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों की पहचान और उपयुक्त पुनर्वास के लिए कदम उठाना।

(3) सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों के पुनर्वास हेतु राज्य स्तर और जिला स्तर पर नोडल अधिकारी की भूमिका और जिम्मेदारियां सुनिश्चित करना।

(4) सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों के पुनर्वास हेतु वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप अनुशंसा करना तथा सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों की जानकारी लेना और अनुश्रवण हेतु योजना बनाना।

(5) विभिन्न हितधारकों का क्षमतावर्धन करना।

4. सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों की पहचान और पुनर्वास हेतु निर्धारित प्रक्रिया.–

(1) जिले के सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों के हॉट–स्पॉट की पहचान करना। हॉट–स्पॉट और भेद्यता मानचित्रण के माध्यम से जिला अधिकारियों द्वारा सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों की पहचान करना।

(2) जिला स्तर पर बचाव दल (रेस्क्यू टीम) का गठन।

(3) जिला अधिकारियों द्वारा पहचान किये गये सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों का बचाव (रेस्क्यू)।

(4) बचाव (रेस्क्यू) किए गए बालकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करना।

(5) बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत बालकों को, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक घोषित करना।

(6) सड़क की परिस्थितियों में रहने वाले बचाव (रेस्क्यू) किए गए बालकों की सामाजिक जांच रिपोर्ट और व्यक्तिगत बाल देखरेख योजना तैयार करना।

(7) बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) द्वारा बालकों को संस्थागत देखरेख/माता–पिता/अभिभावकों/रिश्तेदारों के साथ रखने संबंधी आदेश जारी करना।

(8) बचाव (रेस्क्यू) किए गए बच्चों को स्वास्थ्य जांच, परामर्श, चिकित्सा उपचार, कपड़े, भोजन आदि सेवाएं तत्काल प्रदान करना।

(9) वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बालक और/या परिवार को विभिन्न योजनाओं /लाभों के साथ जोड़ना।

(10) बाल कल्याण समिति द्वारा पुनर्वास संबंधी अंतिम आदेश जारी करना।

(11) व्यक्तिगत बाल देखरेख योजना में की गई अनुशंसा के अनुसार बचाव (रेस्क्यू) किए गए बालकों का जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा अनुवर्तन करना।

5. सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों के पुनर्वास के लिए विभिन्न स्तर के प्राधिकारियों के उत्तरदायित्व.–

स. क्र.	विवरण	प्राधिकारी	उत्तरदायित्व
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	चिन्हांकन, बचाव (रेस्क्यू) एवं पुनर्वास	अनुविभागीय दण्डाधिकारी	चिन्हांकन, बचाव (रेस्क्यू) एवं पुनर्वास हेतु संबंधित विभागों के साथ समन्वय से समुचित कार्यवाही।
2.	अनुश्रवण	जिला मजिस्ट्रेट/ जिला कलेक्टर	चिन्हांकन, बचाव (रेस्क्यू) एवं पुनर्वास तथा विभिन्न योजनाओं का लाभ दिये जाने हेतु संबंधित विभागों के साथ अनुश्रवण।
3.	अनुश्रवण	संचालक, महिला एवं बाल विकास; एवं पदेन सचिव, राज्य बाल संरक्षण समिति	• विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिये जाने हेतु संचालनालय स्तर पर अन्तर्विभागीय समन्वय बैठक आयोजित किया जायेगा। • अनुश्रवण हेतु विकसित वेब आधारित प्रणाली सभी विभागों को उपलब्ध कराना तथा प्रशिक्षण प्रदान करना। • जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यो की नियमित समीक्षा करना।
4.	अनुश्रवण	प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास; अध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति	• विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिये जाने हेतु संबंधित विभागों के सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ अन्तर्विभागीय समन्वय बैठक का आयोजन किया जायेगा। • जिला कलेक्टर के साथ नियमित समीक्षा। • भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को मासिक प्रतिवेदन प्रेषित करना। • बचाव (रेस्क्यू) के समय बालक को राशि रू– 2000/–प्रदान करने के लिये कलेक्टर को सशक्त करना। • सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों का आंगनबाड़ी केन्द्र, शिशु गृह एवं निकट के विद्यालय में शिक्षा विभाग के सहयोग से नामांकन सुनिश्चित करना और सुविधा प्रदान करना। • बालक/परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु आवश्यकता अनुसार योजना तैयार करना। • निगमित सामाजिक जिम्मेदारी प्रयासों के माध्यम से निजी प्रवर्तकता कार्यक्रम तैयार करना।
5.	समीक्षा	मुख्य सचिव	पुलिस महानिदेशक, एडीजी ट्रैफिक, एडीजी बाल कल्याण, एडीजी कानून और व्यवस्था द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा तथा महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम, नगरीय एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समीक्षा करना।

8. सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों के पुनर्वास के लिए विभिन्न स्तरों पर की जाने वाली कार्यवाही.–

(1) राज्य बाल संरक्षण समिति–

(क) अध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति, यह सुनिश्चित करने के लिये नोडल अधिकारी होंगे कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निर्मित सीआईएसएस–एसओपी 2.0 का समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभावी क्रियान्वयन के लिए त्वरित कार्रवाई हो।

(ख) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत सृजित किशोर न्याय निधि से सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले चिन्हित बालकों को, बाल कल्याण समिति द्वारा 'देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक' घोषित किए जाने के पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया अनुसार रुपये 2000/– प्रदान किया जा सकेगा।

(ग) राज्य बाल संरक्षण समिति, सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों के चिन्हांकन, बचाव (रेस्क्यू) और पुनर्वास के लिए जिला स्तर पर की जा रही गतिविधियों का निरीक्षण और अनुश्रवण करेगी तथा उक्त हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल विकसित करेगी तथा सभी विभागों को प्रसारित करेगी और उक्त पोर्टल पर कार्य करने हेतु सभी हितधारकों के लिये प्रशिक्षण आयोजित करेगी।

(घ) राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बचाव (रेस्क्यू) किए गए बालकों के समुचित पुनर्वास के पश्चात् प्राप्त मासिक अनुवर्तन प्रतिवेदन के आधार पर समीक्षा की जाएगी।

(ङ) राज्य बाल संरक्षण समिति, नियमित अंतराल पर विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बनाते हुए, सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों और उनके परिवार को विभिन्न योजनाओं का समयबद्ध तरीके से (वित्तीय एवं अन्य योजनाओं का) लाभ प्रदान करने हेतु जिला स्तर पर कार्य योजना और क्रियान्वयन प्रक्रियाओं के निर्माण में सहयोग करेगी।

(च) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 45 के प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत प्रवर्तकता के लिए निगमित सामाजिक जिम्मेदारी पहल द्वारा संचालित निजी–प्रवर्तकता कार्यक्रम तैयार करेगी।

(छ) राज्य बाल संरक्षण समिति, निजी–प्रवर्तकता कार्यक्रम हेतु दिशा–निर्देश तैयार करेगी तथा इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु किसी निगमित सामाजिक जिम्मेदारी पहल के माध्यम से निजी–प्रवर्तकता कार्यक्रम के लिए उद्योगों और कंपनियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी, ताकि सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों के लिए निजी–प्रवर्तकता कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तिगत–प्रवर्तकताओं द्वारा भी वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकेगी।

(ज) सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों की पहचान, बचाव (रेस्क्यू) और पुनर्वास के लिए जिला स्तर और राज्य स्तर के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना; प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला मजिस्ट्रेट, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, पुलिस विभाग, श्रम विभाग, खाद्य विभाग, नगरीय प्रशासन आदि के जिला स्तर के अधिकारी/कर्मचारी तथा समस्त हितधारकों को शामिल किया जा सकेगा।

(झ) जिला अधिकारियों के लिए क्षमता–वर्धन कार्यशालाओं का आयोजन करेगी।

(2) जिला बाल संरक्षण समिति–

(क) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निर्मित सीआईएसएस–एसओपी 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन लिए समयबद्ध प्रक्रियानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण समिति (जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर या उनके नामित प्रतिनिधि), नोडल अधिकारी होंगे।

(ख) अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण समिति की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा हॉटस्पॉट की पहचान और भेद्यता मानचित्रण किया जायेगा। इस हेतु सुझावात्मक चेक लिस्ट परिशिष्ट–एक पर संलग्न है।

(ग) जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर संबंधित हितधारकों की नियमित बैठक कर "बालकों और कमजोर परिवारों" का चिन्हांकन, आंकलन और विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करेगी।

(घ) जिला बाल संरक्षण समिति, सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों के चिन्हांकन, बचाव (रेस्क्यू) और पुनर्वास के लिए नियमित अंतराल पर गतिविधियों की समीक्षा करेगी तथा बैठक का कार्यवाही विवरण अध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति को भेजना सुनिश्चित करेगी।

(ङ) सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों की पहचान, बचाव (रेस्क्यू) और पुनर्वास के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, पुलिस, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, जिला स्तर के अधिकारियों, स्वयं सेवी संस्थाओं, चाइल्ड लाइन के जिला स्तर के कार्यकर्ताओं, सीडब्ल्यूसी, जेजेबी तथा अन्य हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियां सुनिश्चित एवं निर्धारित करेगी।

(च) जिले में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं का एक पैनल बनाते हुए उनकी सेवा प्राप्त करने हेतु औपचारिक निर्देश जारी किये जायेंगे, जो सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों के लिए आवश्यक परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सहायता प्रदान कर सके।

(छ) यदि जिले में खुला आश्रय की कोई सुविधा नहीं है, तो एक स्थायी खुला आश्रय की सुविधा शुरू होने तक, बाल कल्याण समिति द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 51 के प्रावधान के अनुसार, उचित सुविधा स्थान (फिट फैसिलिटी) को मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही की जायेगी। उचित सुविधा स्थान (फिट फैसिलिटी) में रहने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन से जोड़ा जा सकेगा, ताकि बच्चों के भोजन की व्यवस्था की जा सके।

(ज) ऐसे व्यक्ति या कम्पनी/उद्योगों की पहचान करेगी, जो बालकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के इच्छुक हैं और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 45 के प्रावधानों के अनुसार राज्य के निजी प्रवर्तकता कार्यक्रम के अंतर्गत बालकों को नामांकित करने में सहयोग करें।

(झ) जिला मजिस्ट्रेट, बचाव (रेस्क्यू) किये गये बालकों की स्वास्थ्य जांच के लिए जिले के चिकित्सा अधिकारी और पैरा मेडिकल कर्मियों की सेवाओं की सुविधा प्रदान करेंगे।

(ञ) जिला मजिस्ट्रेट, बाल संरक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुत बचाव (रेस्क्यू) किए गए बालकों को परामर्शदाताओं की सेवाएं उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

(ट) बच्चों, जिनको खुले आश्रय/उचित सुविधा स्थान जैसे अस्थायी आश्रयों में रखा जा रहा है, उन्हें समीप के विद्यालयों में नामांकित किया जाएगा और आश्रय से विद्यालय तक परिवहन की सुविधा उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

(ठ) जिला मजिस्ट्रेट, सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बचाव (रेस्क्यू) बालकों को अंतरिम राहत के रूप में रुपये 2000/– की वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु बाल कल्याण समिति की अनुशंसा के आधार पर आदेश पारित कर सकेंगे। रुपये 2000/– की यह राशि, किशोर न्याय निधि के माध्यम से बालकों को उपलब्ध करायी जाएगी।

(ड) सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालक, जिसका बचाव (रेस्क्यू) किया गया है, को स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि हेतु विशेष वित्तीय आवश्यकता हो, तो किशोर न्याय निधि से लाभ दिया जा सकेगा।

(ढ) जिला कार्य बल यह सुनिश्चित करेगा कि बाल एवं किशोर श्रम नियम, 2017 के नियम 2 के उप–नियम (2) के अनुसार बालक नियमित रूप से विद्यालय जा रहे हैं।

(ण) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परिवार में पुनर्वासित होने वाले बालक नियमित रूप से विद्यालय जा रहे है।

(3) बाल कल्याण समिति– बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बचाव (रेस्क्यू) किए गए बालकों के प्रकरण में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 36 और 37 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

(क) **सड़क जैसी परिस्थितियों में बिना किसी सहयोग के अकेले रहने वाले बालकों के लिए–**

(एक) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 36 के अधीन बाल कल्याण समिति, सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देश दे सकेगी एवं धारा 37 के अधीन देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक घोषित करने की कार्यवाही कर सकेगी।

(दो) समिति, बालक को संस्थागत देखभाल में रख सकती है या अपने विवेक का प्रयोग करते हुये किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 37(1), 1(ख) और (ज), धारा 39(1) और धारा 40(3) के अधीन बालक का प्रत्यावर्तन करने की कार्यवाही कर सकेगी।

(तीन) जहां यह संस्थापित हो कि बालक का परिवार में प्रत्यावर्तन तथा दत्तक ग्रहण में दिया जाना संभव नहीं है, वहां बालक को दीर्घकालिक संस्थागत देखरेख में 18 साल की उम्र पूरी होने तक रखा जा सकेगा और उसके बाद, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 37 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार 21 वर्ष की आयु तक वित्तीय सहायता, बालक को समाज की मुख्य धारा में पुनः जोड़े जाने हेतु, प्रदान की जा सकेगी।

(चार) बाल कल्याण समिति के आदेश के अनुसार बालक को उपयुक्त अस्थायी आश्रय प्रदान किया जायेगा।

(पांच) जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा चयनित उपयुक्त स्थान को उचित सुविधा स्थान (फिट–फेसिलिटी) घोषित करते हुये बालकों को आश्रय प्रदान किया जायेगा।

(छः) बालक के किसी पहचान पत्र/दस्तावेज के अभाव में, बाल कल्याण समिति के आदेश/अनुरोध पर बालक का आधार कार्ड बनाने के लिए पास के आधार सेवा केंद्र में ले जाया जायेगा।

(ख) **सड़क जैसी परिस्थितियों में अपने परिवार के साथ रहने वाले बालकों के लिए–**

(एक) सड़क जैसी परिस्थितियों में अपने परिवार के साथ रहने वाले बालकों का बचाव (रेस्क्यू) किया जाएगा और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 31 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जायेगा।

(दो) बाल कल्याण समिति द्वारा परिवार के साथ बालक के प्रत्यावर्तन के लिए तथा बालक और परिवार को अस्थायी आश्रयों में रखें जाने हेतु आवश्यक आदेश पारित किया जायेगा।

(तीन) अस्थायी आश्रयों में बालकों के लिए खुले आश्रय और उचित सुविधा स्थान एवं माता–पिता के लिए रैन बसेरा शामिल हो सकेंगे।

(चार) बालक और परिवार के सदस्यों को भी परामर्श दिया जायेगा।

(पांच) यदि बालक एक प्रवासी परिवार का है जो जीवन–निर्वाह के साधनों की कमी के कारण शहर में आता है और छोटे–छोटे कार्य, भीख मांगने या सड़क पर उत्पादों का विक्रय अथवा इस प्रकार के अन्य कार्य कर आजीविका के विकल्प को अपनाते हैं, जिसमें बालक भी शामिल रहते हैं, ऐसे प्रकरणों में जिला बाल संरक्षण इकाई परिवार से मिलें और परिवार की पूर्ण जानकारी के साथ सामाजिक जांच प्रतिवेदन (एसआईआर) तैयार करें। अंततः परिवार को उनके मूल स्थान पर बसाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं।

(छः) जहां बालक को पेश किया गया है वहाँ की बाल कल्याण समिति, संबंधित जिले (बालक का मूल स्थान) के बाल कल्याण समिति या जिला मजिस्ट्रेट को, बालक के लिए प्रवर्तकता प्रदान करेंगे, यदि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

की धारा 45 के तहत बालक प्रवर्तकता के लिए पात्र है, तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि परिवार को सरकार (केंद्र और राज्य) की विभिन्न योजनाओं के तहत बुनियादी सुविधा और उचित लाभ प्रदान किया जाये।

(सात) यदि जांच द्वारा यह ज्ञात हो कि परिवार, कुछ कारणों से वर्तमान समय में अपने मूल स्थान वापस जाने में असमर्थ है, तो बाल कल्याण समिति, आंगनवाड़ी केंद्र या किसी विद्यालय में बालक के नामांकन के साथ ही साथ क्षेत्र में उपलब्ध खुले आश्रय की सुविधा तथा परिवार को सरकार (केंद्र और राज्य) की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्रदान करने हेतु अनुशंसा करेगी।

(ग) **दिन में सड़क जैसी परिस्थितियों में और रात को अपने परिवार के साथ वापस पास के झुग्गी/झोपड़ी क्षेत्र में रहने वाले बालकों के लिए –**

(एक) इस परिस्थितियों में पाये जाने बालकों को बचाव (रेस्क्यू) के पश्चात् किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 31 के तहत बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(दो) बालक का परिवार को प्रत्यावर्तन के लिए और बालक को दिन के समय के लिए अस्थायी आश्रयों में रखें जाने हेतु आवश्यक आदेश पारित किया जाएगा।

(तीन) खुला आश्रय, बालकों के लिए एक समुदाय–आधारित सुविधा के रूप में कार्य करेगा, जिसका उद्देश्य बालकों को दुर्व्यवहार से बचाना या उन्हें सड़क जैसी परिस्थितियों वाले जीवन से दूर रखना है।

(चार) परिवारों और बालकों को सड़कों से दूर रखने के लिए, बाल कल्याण समिति, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं से परिवारों और बालकों को जोड़ने की अनुशंसा कर सकेगी।

(घ) **पुलिस विभाग–**

(क) विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं जिला यातायात पुलिस प्रभारी, जिला प्रशासन एवं राज्य महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण विभाग के समन्वय से सड़क पर रहने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे।

(ख) बीट कांस्टेबलों और ट्रैफिक पुलिस शहर के सभी चौराहों या नुक्कड़ों पर तैनात होते हैं, अतः सड़क पर रहने वाले बच्चों की पहचान और बचाव (रेस्क्यू) में शामिल किये जायेंगे।

(ग) माता–पिता के साथ या अकेले रहने वाले बालक के सड़क जैसी परिस्थितियों में होने की जानकारी पुलिस विभाग द्वारा बाल कल्याण समिति को तुरंत सूचित किया जाएगा।

(घ) ऐसे परिवार के विरूद्ध, जो बालक को भीख मांगने के लिए मजबूर करें, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 'बालकों के प्रति क्रूरता के लिए दंड' और धारा 76 'भीख मांगने के लिए बालकों का नियोजन' में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई शुरू करेगी।

(ङ) बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए नियोक्ता के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करेगी।

(च) यौन शोषण और तस्करी जैसे किसी भी अन्य दुर्व्यवहार के विरूद्ध पुलिस कार्रवाई करेगी।

(छ) मानव तस्करी रोधी इकाई सक्रिय भूमिका निभाते हुए, क्षेत्र के जिला कलेक्टर/जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ सूचना साझा करेगी।

(ज) यातायात पुलिस द्वारा सड़क जैसी परिस्थितियों में पाये जाने वाले बालकों की रिपोर्टिंग के लिए अभिनव तंत्र विकसित किया जाएगा।

(4) श्रम विभाग–

(क) बालक के बंधुआ मजदूर पाये जाने की परिस्थितियों में, बंधुआ मजदूर के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2016 के खंड 5 के अनुसार बालक को मुआवजा प्रदान किया जायेगा।

(ख) प्रावधानों के अनुरूप बंधुआ मजदूरी का पुनर्वास सुनिश्चित करेगी।

(ग) अवमुक्त बाल श्रमिक के नियोजक पर अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित शास्ति राशि (रूपये 20,000/–से 50,000/– के मध्य), बाल श्रम पुनर्वास कोष में जमा किया जायेगा तथा शासन द्वारा अवमुक्त बाल श्रमिक हेतु बाल श्रम पुनर्वास कोष में जमा राशि रूपये 15,000/– के निवेश पर प्राप्त ब्याज का उपयोग, अवमुक्त बाल श्रमिक के शिक्षा और कौशल उन्नयन में किया जायेगा तथा अवमुक्त बाल श्रमिक को, जब वह वयस्क हो जाये, उसके नाम से बाल श्रम पुनर्वास कोष में जमा राशि उसे दी जायेगी।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर, बालक एवं किशोर को, क्षमता वर्धन हेतु कौशल कार्यक्रमों एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़ा जायेगा।

(ङ) बालक और किशोर श्रम नियम, 2017 के नियम 2ब(2) में वर्णित है कि जहां विद्यालय के प्राचार्य या प्रधान पाठक को सूचित किए बिना, किसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाला बालक, लगातार तीस दिनों तक अनुपस्थित रहता है, प्राचार्य या प्रधान पाठक नियम 17स के उप–नियम (1) के खंड (प) में संदर्भित संबंधित नोडल अधिकारी को ऐसी अनुपस्थिति की सूचना देंगे। इसकी निगरानी श्रम विभाग द्वारा नियमित अंतराल पर की जा सकेगी। इसके संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगी जा सकेगी।

(च) ऐसी परिस्थितियों में पाये गए बालकों के पुनर्वास हेतु योजनाओं में संशोधित/नवीन योजनाओं का निर्माण करेगी।

(5) नगरीय स्थानीय निकाय/निवासी कल्याण संघ/व्यापार मंडल–

(क) नगरीय स्थानीय निकाय/निवासी कल्याण संघ/व्यापार मंडल भी, हॉटस्पॉट की पहचान करने के लिए उपाय कर सकेंगे और इसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट को दे सकेंगे।

(ख) संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा संबंधित हितधारकों को मृत्यु का आंकड़ा साझा किया जायेगा, ताकि अनाथ या परित्यक्त बच्चों की तत्काल देखरेख की जा सके।

(ग) बालकों को जन्म प्रमाणपत्र, संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उम्र निर्धारण, विद्यालय में नामांकन और इस दस्तावेज की आवश्यकता वाली किसी अन्य योजना से जोड़े जाने के लिए, प्रदान किया जायेगा।

(घ) चाइल्ड हेल्पलाइन, खुला आश्रय आदि के बारे में जागरूकता लाने हेतु नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा नियमित रूप से अपने कचरा ले जाने वाले वाहनों के माध्यम से गलियों और बाजारों में घोषणा किया जायेगा।

(ङ) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थापित की गई पुनर्चक्रण इकाइयों (रीसाइक्लिंग यूनिट) और उसके परिसर की निगरानी करेंगे, ताकि क्षेत्रों में कार्य करने वाले और कूड़ा उठाने का कार्य करने वाले बालकों की पहचान की जा सके। स्व–सहायता समूह को शामिल करते हुये कचरा बीनने वाले बालकों के परिवारों की पहचान और परामर्श उपलब्ध कराया जायेगा। कचरा बीनने वाले और कूड़ा उठाने का कार्य करने वाले बालकों का विद्यालयों में नामांकन और नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होना सुनिश्चित किया जायेगा।

(च) नगरीय स्थानीय निकाय, कचरा बीनने के कार्य को संगठित क्षेत्र में लाने के लिए सभी संभव प्रयास करेगा, ताकि इस कार्य में शामिल परिवार के लोग एक निश्चित मूल्य पर कचरा और प्लास्टिक सामग्री बेच सके और अपनी आजीविका उपार्जित कर सके। ऐसे परिवारों के बैंक खाते खोले जाएंगे, ताकि कूड़ा उठाने का व्यवसाय, उनके लिए आय का स्रोत बन सके तथा

परिवारों और बच्चों को सड़कों से और बालकों को बाल श्रम से दूर रखा जा सके।

(छ) नगरीय स्थानीय निकाय ऐसे लोगों की भी पहचान करेगा, जो कूड़ा बीनने वाले बालकों से प्लास्टिक अपशिष्ट/अन्य कचरा क्रय कर रहे हैं, तथा ऐसे लोगों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराने के साथ उचित कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1986 के तहत बालकों द्वारा कचरा बीनना प्रतिबंधित किया गया है।

(6) राजस्व/प्रशासनिक विभाग–

(क) सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों की देखरेख और संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु सभी उपायों की समग्र समीक्षा और पर्यवेक्षण, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा।

(ख) सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बचाव (रेस्क्यू) किए गए बालकों को (18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर), जिला प्रशासन नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवी के रूप में प्रशिक्षण देने पर विचार कर सकेंगे, यह कदम न केवल ऐसे कमजोर बच्चों को सम्मानजनक रोजगार प्रदान करेगा, बल्कि उनके सड़क के अनुभव के कारण, वे कई अन्य समान पृष्ठभूमि से आने वाले बालकों की सहायता कर सकेंगे।

(ग) योजनाओं का क्रियान्वयन करेगी, ताकि लाभ और मुआवजा समयबद्ध तरीके से बच्चों को मिल सके।

(7) जिला शिक्षा अधिकारी–

(क) संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बचाव (रेस्क्यू) किए गए बालकों को विद्यालयों में प्रवेश की सुविधा प्रदान करेंगे और प्रवासी परिवारों के मामले में, प्रत्यावर्तित बालकों को प्रत्यावर्तित जिले के विद्यालयों में प्रवेश कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(ख) विद्यालय नहीं जाने वाले (आऊट ऑफ स्कूल) बालकों के लिये पुल पाठ्यक्रमों की व्यवस्था तथा उनकों ओपन स्कूल में प्रवेश कराया जायेगा।

(ग) सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बचाव (रेस्क्यू) किए गए बालकों के विद्यालयों में नामांकन का प्रगति प्रतिवेदन, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा विभाग को नियमित रूप से साझा किया जाएगा।

(घ) यदि विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाला बालक, लगातार तीस दिनों तक विद्यालय से अनुपस्थित रहता है, तो विद्यालय के प्राचार्य या प्रधान पाठक ऐसी अनुपस्थितियों की सूचना, बालक और किशोर श्रम नियम, 2017 के नियम 2ब(2) के प्रावधानों के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी को देंगे।

(ङ) जिला शिक्षा अधिकारी, उपरोक्त के संबंध में सभी जानकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई को उपलब्ध कराएंगे, जिसे बाल कल्याण समितियों को अग्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

7. सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों के पुनर्वास हेतु किए जाने वाले अन्य उपाय–

(1) स्वास्थ्य जांच –

(क) प्रत्येक बचाव (रेस्क्यू) किये गये बालक, जिसकी प्रस्तुति बाल कल्याण समिति के समक्ष की जाए, उसका स्वास्थ्य जाँच अवश्य ही किया जायेगा।

(ख) जहां सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, वहां बालकों के स्वास्थ्य मूल्यांकन कराने के लिए, जिला मजिस्ट्रेट, चिकित्सा अधिकारियों और पैरा मेडिकल कर्मियों की व्यवस्था करेगा।

(ग) स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट के आधार पर, बाल कल्याण समिति, अपने आदेश में बालक को आपातकालीन चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने और देखरेख करने के लिए नशामुक्ति केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों आदि से जोड़ने के संबंध में जिला बाल संरक्षण इकाई को निर्देशित करते हुए आदेश पारित करेंगे।

(2) परामर्श सेवाएँ –

(क) सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों और उनके परिवार को परामर्श की सुविधा उपलब्ध करने के लिए बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल कल्याण समिति से जुड़े परामर्शदाताओं को आदेश दे सकेगी।

(ख) परामर्शदाताओं द्वारा की गई टिप्पणियों और अनुशंसा को, बच्चों के सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट (एसआईआर) में दर्ज किया जायेगा।

(ग) जहां भी आवश्यक हो, बालक और/या परिवार को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जायेगा और/या उपलब्ध कराया जायेगा।

(घ) परामर्शदाता, परिवारों और बच्चों को सड़कों से दूर रखने के लिए सभी संभव प्रयास करेंगे।

(3) जहां बालक, बिना किसी पहचान–पत्र का हो–

सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले ऐसे बालक, जिसके बारे में निवास का पता/माता–पिता/परिवार ज्ञात न हो, बाल कल्याण समिति, बालक के आधार कार्ड तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में आदेश पारित कर सकेगी।

(4) सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों के शिक्षा का अधिकार –

ऐसे बालक, जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों तथा कमजोर वर्ग से आते हैं, के प्रारंभिक शिक्षा हेतु शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 3 के अधीन निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे बालकों को उनके घर के निकट के विद्यालय में नामांकन कराया जायेगा।

(5) दिव्यांग बालकों हेतु शिक्षा –

दिव्यांग बालक को भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अधीन लाभ दिया जायेगा तथा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अध्याय 5 में वर्णित सभी अधिकार लागू होंगे।

(6) शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 4 के अधीन विशेष प्रशिक्षण केंद्र–

(क) जहाँ बालक की आयु छः वर्ष से अधिक है और उसने किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है अथवा उसने प्रवेश लेने के बाद भी, प्रारंभिक शिक्षा पूरी

नहीं कर सका हो, तो ऐसे बालक/बालिका को उनकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश कराया जायेगा।

(ख) जहां बालक/बालिका को उनकी आयु के अनुसार कक्षा में सीधे प्रवेश कराया गया हो, तो उन्हें अन्य बालकों के बराबर लाने हेतु विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(7) आंगनवाड़ी केंद्रों/शिशु गृहों में नामांकन–

(क) ऐसे बालक, जिनकी आयु छः वर्ष से कम है, उनका नामांकन आंगनबाड़ी केन्द्रों/शिशु गृहों में कराया जा सकेगा।

(ख) विद्यालयों/आंगनबाड़ी केन्द्रों/शिशु गृहों में नामांकन होने पर, बालकों को मध्यान्ह भोजन/पूरक पोषण आहार की सुविधा प्राप्त होगी।

(8) योजनाओं/लाभों से जोड़ा जाना–

(क) जाँच के दौरान यदि बाल कल्याण समिति द्वारा यह पाया जाता है कि सरकार द्वारा बालकों के लिए संचालित योजनाओं, निधियों एवं छात्रवृत्तियों के माध्यम से वित्तीय लाभ बालक को दिया जाना है, तो बाल कल्याण समिति, इस हेतु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 45 के अनुसार आदेश पारित करेगी।

(ख) स्थानीय प्राधिकारी, बालक एवं उसके परिवार/अभिभावक को सरकार द्वारा संचालित किन्हीं योजनाओं, जो भी लागू हो, अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा अनुशंसित लाभ/अधिकार प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध करायेगा तथा इनको प्राथमिकता दी जायेगी।

(ग) यदि सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों के लिये राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य योजना लागू की जाती है, तो इसकी सूचना, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को दी जायेगी तथा पोर्टल के स्टेज 5 पर अपडेट की जायेगी।

(9) प्रवर्तकता कार्यक्रम–

(क) बालकों की चिकित्सा, पोषण, शिक्षा तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रवर्तकता कार्यक्रम से सहायता दी जाएगी, ताकि बालकों के जीवन में गुणवत्ता पूर्ण सुधार किया जा सके।

(ख) यदि बाल कल्याण समिति को यह प्रतीत होता है कि बालक को प्रवर्तकता कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता दिया जाना है अथवा बालक के अभिभावक/रिश्तेदार/एकल माता–पिता द्वारा प्रवर्तकता कार्यक्रम हेतु आवेदन किया जाता है, तो जिला बाल संरक्षण समिति, प्रवर्तकता एवं पालन पोषण देखरेख समिति (एसएफसीएसी) की अनुशंसा को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(ग) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रवर्तकता कार्यक्रम का सुगम संचालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यक्तिगत प्रवर्तकता कार्यक्रम हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बालक के नाम से बैंक खाता खोला जायेगा, जिसके संचालन का अधिकार माता को होगा।

(10) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 45 के अधीन निजी–प्रवर्तकता कार्यक्रम–

राज्य बाल संरक्षण समिति, निजी–प्रवर्तकता कार्यक्रम संबंधित दिशा–निर्देश तैयार करेगी एवं राज्य शासन द्वारा जारी किये जायेंगे।

8. विभिन्न अपराधों के पीड़ित बालकों के पुनर्वास के लिए उठाए जा सकने वाले अन्य कदम–

(1) जहां बालक, श्रम विधि के उल्लंघन में पाया जाता है और/या कार्य करते पाया जाता है–

(क) उसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 31 के प्रावधानों के तहत बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जायेगा।

(ख) बाल कल्याण समिति के समक्ष बालक के दिए गए कथन पर, स्थानीय पुलिस, बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986,

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 के उल्लंघन के लिए बालकों के प्रति अपराधियों और नियोक्ताओं के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करेगी।

(ग) यदि सड़क जैसी परिस्थिति में रहने वाला कोई बालक, सड़क किनारे कूड़ा बीनते हुए, सड़क किनारे चाय की दुकान/फलों की गाड़ी में कार्य करते हुए, अखबार, गुब्बारे, पेन, पेंसिल आदि बेचते हुए पाया जाता है, तो बालक के ऐसे कृत्यों को भी बाल श्रम के रूप में समझा जायेगा।

(घ) यदि कोई व्यक्ति, जो बालक से कबाड़/संग्रहण, चाहे जो भी हो, प्राप्त करता है अथवा जिसने बच्चों को कार्य पर संलग्न किया है और पैसे के बदले या पैसे के साथ नशीला पदार्थ दे रहा है, तो उसके विरुद्ध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 77 के तहत कार्रवाई शुरू की जा सकेगी। किसी भी मामले में, यदि कोई व्यक्ति, किसी बालक से कबाड़/संग्रहण, चाहे जो भी हो, क्रय कर रहा है, तो उसके विरुद्ध बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और इस मामले के लिए लागू कोई अन्य विधि की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की जानी चाहिये।

(ङ) बाल श्रम पीड़ित को निम्नलिखित वित्तीय राशि/मुआवजा प्रदान किया जायेगा –

(एक) आपातकालीन सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए बाल कल्याण समिति द्वारा नियत किया गया अंतरिम मुआवजा।

(दो) बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2016 के खंड 5 के अनुसार मुआवजा।

(तीन) अवमुक्त बाल श्रमिक के नियोजक को अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित शास्ति राशि (रूपये 20,000/–से 50,000/–के मध्य),

बाल श्रम पुनर्वास कोष में जमा की जायेगी तथा शासन द्वारा अवमुक्त बाल श्रमिक हेतु बाल श्रम पुनर्वास कोष में जमा राशि रूपये 15,000/– के निवेश पर प्राप्त ब्याज का उपयोग, अवमुक्त बाल श्रमिक के शिक्षा और कौशल उन्नयन में किया जायेगा तथा अवमुक्त बाल श्रमिक को, जब वह वयस्क हो जाये, उसके नाम से बाल श्रम पुनर्वास कोष में जमा की गई राशि उसे दी जायेगी।

(चार) नियोक्ता से बालक को बकाया मजदूरी, यदि कोई हो।

(2) जहां बालक मादक द्रव्यों का सेवन करने वाला या नशीली दवाओं की तस्करी में लिप्त हो–

(क) बाल कल्याण समिति, बालक को उचित सुविधा स्थान में देखरेख, नशामुक्ति, उपचार और पुनर्वास के लिए तत्काल भेजेगी।

(ख) मादक द्रव्यों का सेवन करने वाली बालिकाओं को विशेष रूप से बालिकाओं के लिए निर्धारित ''उचित सुविधा स्थान'' में भेजा जायेगा।

(ग) बाल कल्याण समिति द्वारा उचित तरीके से एक समुचित संस्थान में बालकों की नशामुक्ति हेतु व्यवस्था के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई और जिला प्रशासन को निर्देशित किया जायेगा।

(घ) नशामुक्ति संस्थान की अनुपलब्धता की स्थिति में, बालक को सरकार की किसी अन्य समुचित संस्थान में भेजा जा सकता है।

(3) जब बालक, सड़क पर भीख मांगता पाया जाता हो–

(क) जहां बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को उपर्युक्त श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत पाया जाता है, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन बालक के संस्थागत देखरेख के लिए आदेश पारित करेगी।

(ख) इन बालकों को बचाव (रेस्क्यू) करते समय माता–पिता सहित सड़क पर बालकों से भीख मंगवाने वाले लोगों की पहचान की जाएगी और भारतीय दण्ड संहिता, 1860, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन)

अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अधीन आगे की कार्रवाई के लिए तत्काल पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की जाएगी।

(4) जहां बच्चा यौन शोषण से पीड़ित हो–

(क) जहां बचाव (रेस्क्यू) किया गया बालक यौन शोषण से पीड़ित हो या उसका यौन शोषण किया गया हो, वहां ऐसे बालक के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अनुसार प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

(ख) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार बालक के कथन पर पुलिस द्वारा तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की जायेगी।

(5) जहां बालक, तस्करी का शिकार हुआ बालक है–

(क) यदि बाल कल्याण समिति को, बालक के अभिभावक या परिवार, वास्तव में जैविक माता–पिता या अभिभावक नहीं होने का संदेह हो, ऐसी स्थिति में बाल कल्याण समिति, पुलिस जांच के लिए अनुरोध करेगी, जिसकी एक प्रति, मानव तस्करी निरोधक इकाई को दी जाएगी।

(ख) इसके अलावा, यदि बालक यह कथन करता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा नियंत्रित है, तो पुलिस, मामले में आगे की जांच करेगी और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत तत्काल समुचित कार्रवाई शुरू करेगी।

(ग) जब तक बालक के प्रभारी व्यक्तियों की सही पहचान नहीं हो जाती, तब तक बाल संरक्षण समिति, बालक को संस्थागत देखरेख में रख सकेगी और पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही, बाल संरक्षण समिति के आदेश के साथ बालक को माता–पिता/अभिभावकों के साथ प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

(घ) यदि जांच से प्रकट होता है कि बालक के अभिरक्षक तस्कर हैं, तो अपराधियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860, किशोर न्याय (बालकों

की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के तहत उचित कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

(6) यदि बालक उस स्थान पर नहीं मिले, जहां उसकी पहचान की गई –

(क) जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला मजिस्ट्रेट और बाल कल्याण समिति को इसके बारे में सूचित करेंगे।

(ख) जिला मजिस्ट्रेट, बालक की खोज और उसके पता–ठिकाने की जांच शुरू करने के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई को आदेश देंगे।

(ग) विशेष किशोर पुलिस इकाई, बालक की खोज हेतु सभी प्रयास करेंगे।

(घ) सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों की पहचान के समय, चाहे बालक अकेला हो या परिवार के साथ, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि परिवार प्रवासी नहीं है और बालक उस स्थान से दूसरी जगह नहीं जायेगा।

(7) यदि बालक दिव्यांग हो–

(क) बाल कल्याण समिति के आदेश पर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) बालक को उचित प्रमाणपत्र प्रदान करेगा, जिसका उपयोग करते हुए दिव्यांग बालक का नामांकन संचालित योजनाओं के लिये जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा कराया जाएगा।

(ख) बाल कल्याण समिति के आदेश पर, बालक को दिव्यांगता संबंधी विशिष्ट सहायक यंत्र उपलब्ध करायी जाएगी।

(ग) बाल कल्याण समिति, बालक की दिव्यांगता की प्रकृति के आधार पर समुचित संस्थागत देखरेख में रखे जाने हेतु आदेश देगा।

(घ) जिला बाल संरक्षण इकाई, बालक को दिव्यांग बालकों की संस्थान में रखने के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी (डीएसडब्ल्यूओ) के साथ अनुवर्तन कार्रवाई करेगी।

(ङ) उचित माध्यमों और हस्तक्षेपों के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में पुनर्स्थापना और पुनः एकीकरण के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।

9. हितधारकों की भूमिका–

स. क्र.	हितधारक / संबंधित विभाग	कार्य का विवरण
1.	जिला प्रशासन, पुलिस, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति, श्रम विभाग, रेलवे, समाज कल्याण विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, खाद्य विभाग, चाइल्ड लाइन, जिले में कार्यरत स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधि।	बालकों की पहचान एवं बचाव (रेस्क्यू)।
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (स्कूल शिक्षा विभाग), जिला बाल संरक्षण इकाई, समाज कल्याण विभाग।	विद्यालय में बालकों का नामांकन / प्रवेश।
3.	महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।	आंगनबाड़ी में बालकों का नामांकन / प्रवेश।
4.	स्वास्थ्य विभाग।	स्वास्थ्य सेवायें / चिकित्सकीय सहायता / मानसिक स्वास्थ्य सेवायें।
5.	जिला बाल संरक्षण इकाई, समाज कल्याण विभाग, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग।	आश्रय गृह, उचित सुविधा स्थान में आश्रय।
6.	श्रम विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, समाज कल्याण विभाग।	बाल श्रम का उल्लंघन / प्रतिषेध।
7.	विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	शोषण, दुर्व्यवहार और मानव–तस्करी से संरक्षण।
8.	जिला प्रशासन, पुलिस, जिला बाल संरक्षण इकाई, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, स्वैच्छिक संगठन	सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों के देखरेख और संरक्षण प्रणाली का अधीक्षण और अनुश्रवण।
9.	जिला प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला बाल संरक्षण इकाई और समस्त संबंधित विभाग।	बालकों के पुनर्वास हेतु विभिन्न योजनाओं से बालकों एवं उनके परिवार को जोड़ना।

परिशिष्टि–एक

"संकटग्रस्त बालकों" और "असुरक्षित परिवारों" की पहचान हेतु मुख्य सूचक

1. विद्यालय नहीं जाने वाले बालक
2. आंगनवाड़ी नहीं जाने वाले बालक
3. पारिवारिक परिस्थितियां :
   (क) परित्यक्त बालक
   (ख) तलाक़शुदा/विधवा महिला
   (ग) दिव्यांग बालक
   (घ) परिवार में दिव्यांगता
   (ङ) खराब स्वास्थ्य स्थिति, जो बच्चों को कमजोर बनाती है
   (च) अधिक उम्र के माता पिता
   (छ) अन्नपूर्णा रोजगार पाने में असमर्थ परिवार
   (ज) प्रवासी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य, जो नगरों और शहरी इलाकों में सड़क जैसी परिस्थितियों में रहते हैं
   (झ) मानव तस्करी के उत्तरजीवी बालकों का परिवार
   (ञ) ऋण, उधार या कोई अन्य वित्तीय भार इत्यादि वाले परिवार
   (ट) प्रकृतिक आपदा से प्रभावित
   (ठ) किसी भी कारण से परिवार में आकस्मिक घटना या कार्य करने वाले की मृत्यु
   (ड) परिवार में कोई दुर्घटना
   (ढ) वैवाहिक विवाद
4. परिवार में अनाचारः दुर्व्यवहार/भेद–भाव/अनेक कारणों से अप्रसन्न बालक
5. ऐसे परिवार, जहां शराब और/या अन्य पदार्थों की लत हो
6. बाल अधिकारों अर्थात पाक्सो, किशोर न्याय अधिनियम, बाल श्रम इत्यादि के किसी उल्लंघन में आरोपी परिवार के सदस्य
7. कूड़ा बीनने वाले परिवार
8. बालक, जो मादक द्रव्यों के सेवन या मादक द्रव्यों के सेवन के पीड़ित हैं

9. गांव/आस–पास के क्षेत्रों में बाल श्रम गतिविधि के पीड़ित या बाल श्रम में लिप्त होने की संभावना
10. घर से फरार/भागने का इतिहास
11. परिवार की आर्थिक अभाव की परिस्थितियां, जो बालक को अवैध व्यापार के प्रति असुरक्षित बनाती है
12. भिक्षावृत्ति/अपशिष्ट संग्रहण में लिप्त पाये गये बालक

टीपः– उपरोक्त सूचक, सांकेतिक है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, सचिव.

Atal Nagar, the 23rd May 2022

NOTIFICATION

No. F 6-193/2022/WCD/50. – The State Government, to express the commitment towards holistic development of the children in need of care and protection, guided by the fundamental principles laid down in Section 3 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016), for proper Rehabilitation of Children in Street Situation, hereby, makes the Policy, as follows :-

REHABILITATION POLICY FOR CHILDREN IN STREET SITUATIONS, 2022

1. **Short title, extent and commencement.-** (1) This policy may be called the Rehabilitation Policy for Children in Street Situations, 2022, which shall be known as "Baal Saksham".

(2) It extends to whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. **Definition.-** In this policy, unless the context otherwise requires,–

(a) "Child" means a person who has not completed eighteen years of age;

(b) "Children in Street Situation/(CiSS)" means a child who, –

(1) Lives, without any support, on the streets all alone;

(2) Lives on the streets with their families; and

(3) Stay in street situations during the day and are back home during the night to their families who reside in nearby slum/hutments.

(c) "Best interest of child" means the basis for any decision taken regarding the child, to ensure fulfilment of his basic rights and needs, identity, social well-being and physical, emotional and intellectual development;

3. **Objective. - The objectives of this policy are as under:–**

(1) Effective implementation of CiSS-SOP 2.0 (Standard operation procedures released by National Commission for Protection of Child Rights) for care and protection of Children in Street Situations.

(2) To take steps for identification and suitable rehabilitation of children in street situations.

(3) To provide for roles and responsibilities of the nodal officer at both State level and District Level for rehabilitation of children in street situations.

(4) To recommend measures for rehabilitation of children in street situations in accordance to their prevailing situation and provide a plan for reporting and monitoring of children in street situations.

(5) Capacity building of different stakeholders.

4. Procedures for identification and rehabilitation of children in street situations.–

(1) Identification of Hotspot areas in the district. Identification of Children in Street Situation by district authorities through hotspots and vulnerability mapping.

(2) Formation of the rescue team at the district level.

(3) Rescue of Children in street situations identified by district authorities.

(4) Production of rescued children before Child Welfare Committee.

(5) Declaring the produced children before the Child Welfare Committee as the children in need of care and protection.

(6) Preparation of Social Investigation Report and Individual Care Plan of rescued children in street situation.

(7) Orders issued by CWC regarding placement of children in institutional care/restoration with parents/guardians/relatives.

(8) Providing immediate services to rescued children such as health screening, counselling, medical treatment, clothing, food etc.

(9) Linking of schemes/benefits with the child and/ or the family for providing financial assistance.

(10) Issuance of final order related to rehabilitation by the Child Welfare Committee.

(11) Follow-up by district authorities of the children who have been rescued as per the recommendations made in the Individual Care Plan.

5. Responsibilities of the authorities at different levels for rehabilitation of children in street situations.-

Sl. No.	Description	Authority	Responsibilities
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Identification, rescue and rehabilitation	Sub Divisional Magistrate	Proper action in coordination with concerned departments for the identification, rescue and rehabilitation.
2.	Monitoring	District Magistrate/ District Collector	Monitoring of concerned departments for the identification, rescue and rehabilitation, and for providing benefits of different schemes.
3.	Monitoring	Director, WCD; ex- officio Secretary, SCPS	• To provide benefits of different schemes to the beneficiaries, inter-departmental coordination meeting at the Directorate level will be organised. • Provide access of the developed web-based system for monitoring to all departments and organise training. • Regular review of the work done of District Child Protection Unit

4.	Monitoring	Principal Secretary, WCD; Chair Person, SCPS	• To provide benefits of different schemes to the beneficiaries, inter-departmental coordination meeting at the secretary level will be organised. • Regular review with District Collectors • Monthly Report Submission to the Government of India, Ministry of Women and Child Development • To empower the Collector to provide 2000/-at the time of rescue of the child. • Ensure and facilitate enrollment of children in street situations in Aanganwadi Centres, Creches and Neighbourhood Schools in collaboration with Department of Education. • As needed, preparation of scheme for providing financial assistance to the child / family • Formulate a private sponsorship program through Corporate Social Responsibility initiatives.
5.	Review	Chief Secretary	Review of the work done by Director General of Police, ADG Traffic, ADG Child Welfare, ADG Law and Order. Review with Department of WCD, Labour, Urban and Rural Development, Health, Education, Social Welfare and State Legal Services Authority

6. Actions to be taken at various levels for the rehabilitation of children in Street Situation.-

(1) State Child Protection Society –

(a) The Chairperson, State Child Protection Society shall be the nodal officer to ensure that all the District Magistrates/ District Collectors take prompt action for implementation of CiSS-SOP 2.0 formulated by the National Commission for Protection of Child Rights.

(b) Identified children in street situation after being declared 'child in need of care and protection' by the Child Welfare Committee, can be provided 2000/- as per the prescribed procedure from the Juvenile Justice Fund created under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

(c) The State Child Protection Society shall supervise and monitor the activities being done at the district level for identification, rescue and rehabilitation of children in Street situation and shall develop an online web portal for the same and disseminate it to all the departments. and will organise training of all the stakeholders to work on the said portal.

(d) The review will be done on the basis of monthly follow-up report received by the State Child Protection Committee after proper rehabilitation of the rescued children in Street situation.

(e) State Child Protection Society shall support the preparation of action plan and implementation processes in coordination with various departments at regular intervals, at the district level to provide benefits of different schemes (financial and other schemes) in a time-bound manner to the children in street situation and their families.

(f) Shall formulate a private sponsorship program through CSR initiatives for individual sponsorship as per the provisions of Section 45 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

(g) The State Child Protection Society shall prepare guidelines for private-sponsorship program and to ensure its implementation, organise various programs with the aim of encouraging industries and companies for private-sponsorship program through CSR, so that the children in street situation can be provided with financial assistance by individual promoters under the private-sponsorship program.

(h) Shall conduct training programs for district level and state level officers for identification, rescue and rehabilitation of children in street situation; District level officers/employees of District Magistrate, Child Welfare Committee, District Child Protection Unit, Police Department, Labour Department, Food Department, Urban Administration and all stakeholders etc. can be included in the training program.

(i) Shall organize capacity building workshops for district officers.

(2) District Child Protection Society-

(a) The Chairperson (District Magistrate/ District Collector or his designated representative), District Child Protection Society, will be the nodal officer to ensure prompt action as per time-bound processes for effective implementation of CISS-SOP 2.0 prepared by National Commission for Protection of Child Rights.

(b) Shall hotspot identification and vulnerability mapping by the officers and staff of the District Child Protection Unit, headed by the Chairman, District Child Protection Society. The suggestive checklist for this is attached at Annexure-I.

(c) Shall identification of "vulnerable children and families", their assessment and providing benefits of various schemes by holding regular meetings of concerned stakeholders at village, block and district level.

(d) The District Child Protection Society shall review the activities at regular intervals for identification, rescue and rehabilitation of children in street situation at the district level and ensure to send the meeting-minutes to the Chairperson, State Child Protection Society.

(e) Shall lay down/determine the roles and responsibilities of Department of

Women and Child Development, District Child Protection Unit, Police, Department of Panchayat and Rural Development, Social Welfare Department, Department of Health and Family Welfare, Department of Food and Civil Supplies, Department of Urban Administration and Development, Department of Tribal and Schedule Caste Development, district level officers, voluntary organisations, Child-Line district level functionaries, CWCs, JJBs and other stakeholders for the for identification, rescue and rehabilitation of children in street situation.

(f) Formal instructions shall be issued to seek the services, by forming a panel of trained counsellors in the district who can provide necessary counselling and mental health care and support to children in street situation.

(g) If there is no facility of open shelter in the district, the Child Welfare Committee shall work towards recognising fit-facility in accordance with the provisions of Section 51 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 till a permanent open shelter facility starts. Children residing in Fit-Facility can be attached to the mid-day meal so that arrangements can be made for the children's meals.

(h) Shall identify persons or corporates/industries who are willing to provide financial assistance to children and help children to enrol under the state's private-sponsorship program in accordance with the provisions of Section 45 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

(i) The District Magistrate shall facilitate the services of the Medical Officer and Para Medical personnel of the district for health check-up of the rescued children.

(j) The District Magistrate shall ensure to provide the services of counsellors to the rescued children produced before the Child Welfare Committee.

(k) Children who are being kept in temporary shelters like open shelters/fit-facility, will be enrolled in nearby schools and ensure to provide transport facility from shelter to school.

(l) The District Magistrate can pass orders on the basis of the recommendation of the Child Welfare Committee to provide financial assistance of Rs.2000/- as interim relief to the rescued children in street situation. This amount of Rs 2000/- will be provided to the children through Juvenile Justice Fund.

(m) If the children in street situation who has been rescued, has a special financial need for health, education, etc., benefit can be given from the Juvenile Justice Fund.

(n) The District Task Force shall ensure that the children are attending school regularly as per sub-rule (2) of rule 2 of the Child and Adolescent Labour Rules, 2017.

(o) The District Education Officer shall ensure that the children who have been restored to the families, are attending schools regularly.

(3) Child Welfare Committee – The procedures prescribed in Section 36 and 37 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 shall be followed in the cases of the rescue children in street situation presented before the Child Welfare Committee.

(a) For children living alone without any assistance in Street situations –

(i) The Child Welfare Committee may direct for the preparation of Social Investigation Report under Section 36 and may declare the child as the child in need of care and protection in accordance with the provisions of Section 37 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

(ii) The Committee may place the child in institutional care or may exercise its discretion for the restoration of the child under Section 37(1), 1(b) and (h), Section 39 (1) and Section 40(3), of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

(iii) Where it has been established that the child could not be restored with the family or could not also be declared free for adoption, the child may be provided long-term institutional care till the completion of 18 years and after that, financial support may be provided till the age of 21 years, as per provisions mentioned in Section 37 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, to facilitate the child's re-integration into the mainstream of society.

(iv) In accordance with the order of the Child Welfare Committee, suitable temporary shelter should be provided to the child.

(v) Providing shelter to the children by declaring the appropriate place selected by the District Child Protection Committee as a fit facility.

(vi) In the absence of any identity card/document of the child, on the orders/request of the Child Welfare Committee, the child will be taken to the nearest Aadhaar Seva Kendra to generate/make/create/ prepare the Aadhar card.

(b) For children living with their families in Street situations -

(i) Children living with their families in street situations will be rescued and produced before the Child Welfare Committee as per the provisions mentioned in Section 31 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

(ii) Necessary order to be passed by the Child Welfare Committee for the restoration of the child with the family and to place the child and the family in temporary shelters.

(iii) Temporary shelters may include open shelters and fit-facilities for children and night shelters for parents.

(iv) The child and the family members should also be given counselling.

(v) If the child belongs to a migrant family that comes to the city due to lack of means of subsistence, adopting the livelihood option of doing odd jobs, begging or selling products on the streets, or even does some other work involving children, in such cases the District Child Protection Unit should visit the family and prepare the Social Investigation Report with complete family information. Finally, every possible step should be taken to settle the family at their native place.

(vi) The Child Welfare Committee where the child is produced, may consider writing to the Child Welfare Committee or the District Magistrate of the concerned district (the place of origin of the child) to provide Sponsorship for the child. If the child is eligible under section 45 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, and ensure that the family is provided with basic facilities and appropriate benefits under various schemes of the Government (Central and State).

(vii) If it is established by inquiry that the family is unable at the present time to return to its native place due to some reasons then the Child Welfare Committee may recommend for the enrolment of the child in Anganwadi centre or any school, as well as for the facility of open shelter available in the area and for the family to provide benefits under various schemes of the (Central and State) Government.

(c) For children living in Street Situations during the day and back with their families at night in the nearby slum area -

(i) The children found in such situation, after the rescue, should be produced before the Child Welfare Committee under Section 31 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

(ii) Necessary orders shall be passed for the restoration of the child to the family and to place the child in temporary shelters for the day time..

(iii) The open shelter will function as a community-based facility for children, with the aim of protecting children from abuse or life in street situations.

(iv) To keep families and children away from the streets, the Child Welfare Committee may recommend the inclusion of families and children in the schemes implemented by the Central or State Government.

(d) Police Department –

(a) Special juvenile police unit and district traffic police in-charge, in coordination with district administration and state women and child development/social welfare department, shall ensure the safety of street children.

(b) The Beat constables and traffic police being stationed at all the intersections or nooks of the city, shall be involved in the identification and rescue of the

children in street situation.

(c) The Police Department shall immediately inform the Child Welfare Committee about the child living alone or with the parents in the street situation.

(d) Action be initiated against such family who is forcing the child into begging, as per provisions provided under section 75 - 'punishment for cruelty to child' and Section 76 - 'employment of child for begging' of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

(e) First Information Report (FIR) to be registered against the employer for contravention of the provisions of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 and the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

(f) Police will take action against any other abuse like sexual exploitation and trafficking.

(g) The Anti Human Trafficking Unit, by playing a proactive role, will share the information with the District Collector/District Child Protection Unit of the area.

(h) Innovative mechanism will be developed by the traffic police for reporting of children found in street situations.

(4) Labour Department –

(a) In case the child is found to be a bonded labourer, compensation shall be provided to the child as per Clause 5 of the Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labour, 2016.

(b) Shall ensure rehabilitation of bonded labour as per the provisions.

(c) The penalty (between Rs.20,000/- to Rs.50,000/-) imposed under the Act on the employer of the released child labourer will be deposited in the Child Labour Rehabilitation Fund and the interest received by the government on the investment of Rs 15,000/- deposited in the Child Labour Rehabilitation Fund for the released child labour will be used for the education and skill up-gradation of the released child labour and the deposited amount in the Child Labour Rehabilitation Fund in his name shall be given to the released child labour when he attains the age of majority.

(d) In coordination with the Chhattisgarh State Skill Development Authority, the child and adolescent will be lined with skill programs and vocational training for skill development.

(e) Rule 2B (2) of Child & Adolescent Labour Rules, 2017 states that where a child receiving education in a school remains absent consecutively for thirty days without intimation to the Principal or Head Master of the school, then, the Principal or Head Master shall report such absence to the concerned nodal officer referred to in clause (i) of sub-rule (1) of rule 17C for information. This may be monitored by the Labour Department on a regular basis. A report may

be sought from the District Education Officers in this regard.

(f) Shall amend of scheme or creat of new schemes for the rehabilitation of the children found in such situation,.

(5) Urban Local Bodies/ Resident Welfare Associations/ Vyapar Mandals –

(a) The Urban Local Bodies/ Resident Welfare Associations/Business Boards may also take measures to identify the hotspots and report the same to the District Magistrate.

(b) Shall har of death data by the respective Urban Local Bodies to the relevant stakeholders so that orphans or abandoned children can be taken care of immediately.

(c) The birth certificate to the children to be provided by concerned Urban Local Body for age determination, school enrolment and linking to any other scheme requiring this document.

(d) Awareness generation about Child Helpline, Open Shelter information etc. in this regard, announcement in streets and markets can be done by Urban Local Bodies through their garbage vehicles on a regular basis.

(e) Monitor the recycling units and its premises set up for plastic waste management to identify the children working in the areas and doing the rag-picking work. Identification and counselling of rag-pickers children and their families by involving Self Help Groups. Ensuring the enrolment of children who are rag pickers and garbage collectors, in schools and are attending classes regularly.

(f) The Urban Local Body shall make all efforts to bring occupation of rag picking work into organized sector of work, so that the families can sell the waste and plastic materials to people at a fixed price and earn their livelihood. Bank accounts of such families shall be opened so that the business of picking up garbage can become a source of income for them and would keep the families and children off the streets and children of the child labour.

(g) The urban local body shall also identify such people who are buying plastic waste/other waste from child rag pickers and ensure to take appropriate action against such people along with getting FIR filed , as children working as rag pickers is prohibited under the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986,

(6) Revenue/ Administration Department –

(a) Overall monitoring and supervision of all the interventions for ensuring care and protection for the children in street situations shall be done at the district level by the District Collector/District Magistrate.

(b) The district administration may consider training the rescued children in street situation (on attaining the age of 18 years) as Civil Defence volunteers, since it will not only provide such vulnerable children respectable employment but owing to their street experience, they can assist many other children who come

from similar background.

(c) Shall implement of schemes so that benefit and release of compensations can be made to children in a time bound manner..

(7) District Education officer –

(a) The concerned District Education Officer shall facilitate admissions in neighbourhood schools of the rescued children living in street situations and in case of migrant families, ensure the admission of the repatriated children in the schools of the repatriated district

(b) Arrangement of bridge courses for out-of-school children and admission in open schools.

(c) The progress report of the enrolment of rescued children in street situations in schools shall be shared regularly by the District Education Officer to the School Education Department.

(d) If a child receiving education in the school is absent from the school continuously for thirty days, then the Principal or headmaster of the school shall inform the District Education Officer of such absence under the provisions of Rule 2B(2) of the Child and Adolescent Labour Rules, 2017.

(e) The District Education Officer shall provide all the information regarding the above to the District Child Protection Unit which shall be ensured to be forwarded to the Child Welfare Committees.

7. Other steps to be taken for the rehabilitation of children in street situations–

(1) Health Screening –

(a) Every rescued child who has been produced before the Child Welfare Committee, health screening must be done.

(b) The District Magistrates shall facilitate services of medical officer of the and para-medicals staff officers for conducting health assessment of children where the children in street situations are being produced before the Child Welfare Committee.

(c) Based on the medical report, Child Welfare Committee shall pass an order directing the District Child Protection Unit to provide emergency treatment and care by linking the child with de-addiction centres and health centres etc.

(2) Counselling services –

(a) In order to provide counselling facilities to the children in street situation and their families, the Child Welfare Committee may pass orders to the counsellors linked to District Child Protection Unit and Child Welfare Committee.

(b) The observations and recommendations made by the counsellor shall be recorded in the SIR (social investigation report) of the child.

(c) Wherever required, the children and/or the family shall be given and/or linked with mental health services.

(d) The counsellors shall make all possible efforts to keep the families and the children away from the streets.

(3) Where the child is without any identification –

Such child living in street situations about whom his native place/ parents/ family is not known, the child welfare committee may pass order related to preparation of Aadhar Card for the child.

(4) Right to Education of Children in Street Situation –

Under Section 3 of the Right to Education Act, 2009, such children who come from adverse circumstances and weaker sections, shall be arranged for free education for primary education. Such children shall be enrolled in a proper neighbourhood school.

(5) Education of children with disability –

Children with disabilities should also be given benefits under the Right to Education Act 2009 and all the rights mentioned in Chapter 5 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunity Rights Protection and Full Participation) Act, 1995 will be applicable.

(6) Special Training Centers under Section 4 of the RTE Act, 2009 –

(a) Where a child above six years of age has not been admitted in any school or though admitted, could not complete his or her elementary education, then, he or she shall be admitted in a class appropriate to his or her age.

(b) Where a child is directly admitted in a class appropriate to his or her age, then, he or she shall, in order to be at par with others, have a right to receive special training.

(7) Enrolment in Aanganwadi Centres/Creches –

(a) Children below six years of age may be enrolled with Anganwadi Centres/Crèches.

(b) Children being enrolled in schools/Anganwadi centres/Crèches shall be getting the benefit of mid-day meal/ supplementary nutritious food.

(8) Linking with schemes/benefits –

(a) The child welfare committee shall pass an order as per Section 45 of the Juvenile Justice (care and protection of children) Act, 2015, if the child is found eligible during the inquiry that the financial support shall provide to the children from government implemented schemes, funds, scholarships, etc..

(b) Local authorities may also facilitate the benefit/entitlement of any government implemented schemes to the child or his/her family/guardian wherever applicable or recommended by the Child Welfare Committee and these shall be given priority.

(c) If there are any other schemes implemented by State Government for children in street situations, then the same may be informed to National Commission for Protection Child Rights and shall be updated at Stage-5 of the portal.

(9) Sponsorship program –

(a) To meet the medical, nutritional, education, and other needs of the children, assistance shall be given from the Sponsorship program so that the quality of life of the children can be improved.

(b) If the Child Welfare Committee feels that the child has to be given assistance under the sponsorship program or the parent/relative/single parent of the child applies for the sponsorship program, then the District Child Protection

Committee will present the recommendation of the Sponsorship and Foster Care Committee. (SFCAC) before the Child Welfare Committee.

(c) The smooth operation of the Sponsorship program should be ensured by the District Child Protection Unit. For the individual Sponsorship program, a bank account will be opened in the name of the child by the District Child Protection Unit, whose operation will be with the mother.

(10) Private Sponsorship program under Section 45 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 –

State Child Protection Committee will prepare guidelines related to private-sponsorship program and will be issued by the State Government.

8. Other Steps That Can Be Taken for Rehabilitation of Children Who are Victim of Offences-

(1) Where child is found to be in contravention of labour laws and/or is found working-

(a) He shall be produced before the Child Welfare Committee under the provisions of Section 31 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

(b) Local police shall file FIR on the perpetrators and employers of the child for violations of Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, and Indian Penal Code, 1860 on the statement of the child given before the Child Welfare Committee.

(c) In case the child in street situation is found to be picking waste, working in a roadside tea stall/fruit cart, selling newspapers, balloons, pens, pencils, etc., then such acts of the child are also to be deemed as acts of child labour.

(d) If the person receiving the scraps/whatever collection from the child or who has engaged children and is giving narcotic substance instead of money or along with the money, action maybe initiated under Section 77of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015. In any case if a person is purchasing scraps/whatever collection from a child, action must be initiated under the relevant Sections of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986; Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and any other laws applicable for this matter.

(e) Following financial amounts/compensations shall be provided to the child labour victim-

(i) Interim compensation as decided by the Child Welfare Committee for providing emergency protection and health care services.

(ii) Compensation in accordance with Clause 5 of the Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourers, 2016.

(iii) The penalty (between Rs.20,000/- to Rs.50,000/-) imposed under the

Act on the employer of the released child labourer will be deposited in the Child Labour Rehabilitation Fund and the interest received by the government on the investment of Rs 15,000/- deposited in the Child Labour Rehabilitation Fund for the released child labour will be used for the education and skill up-gradation of the released child labour and the deposited amount in the Child Labour Rehabilitation Fund in his name shall be given to the released child labour when he attains the age of majority.

(iv) Back Wages from the employer to the child, if any.

(2) Where the child is a substance abuser or is indulge in drug peddling –

(a) Child Welfare Committee shall immediately send the child to a fit facility identified for care, detoxification, treatment and rehabilitation.

(b) Girl substance abusers shall be sent to "fit facility" exclusively earmarked for girl children.

(c) Child Welfare Committee shall direct the District Child Protection Unit and District Administration to create such facility for drugs de-addiction in an appropriate institution in an appropriate manner.

(d) In case there is unavailability of de-addiction institution, the child may be sent to any other appropriate facility of the Government.

(3) Where the child is found to be begging on the streets –

(a) Where the child is found by the Child Welfare Committee to fall under any of the above categories, the Child Welfare Committee shall pass an order for institutional care of the child under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

(b) The people making the child to beg in the streets including parents shall be identified at the time of rescue of these children and FIR under the provisions of the Indian Penal Code, 1860, Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, and the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 shall be immediately filed by the Police for further investigation.

(4) Where the child is a sexual abuse victim –

(a) Where the rescued child is also a victim of sexual abuse or has been sexually exploited, the procedure for such child shall be followed as per the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

(b) An immediate FIR shall be registered by the Police on the statement of the child as per the provisions of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

(5) Where the child is a trafficked child –

(a) If the Child Welfare Committee suspects that the child's guardian or family is not in fact the biological parent or guardian, in such cases the Child Welfare Committee shall request a police investigation, a copy of which may be given to the Anti-Human Trafficking Unit.

(b) Further, if the child states that he is controlled by some other person or group of persons, the police is to carry out further investigation into the matter and will initiate appropriate action immediately under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

(c) Until the true identity of the persons having charge of the child is found out, the Child Welfare Committee may place the child in institutional care and after inquiry of the police is completed, only then shall the child be restored to the parents/guardians with the orders of the Child Welfare Committee.

(d) If the investigation reveals that the custodians of the child are traffickers, then appropriate legal action shall be taken under Indian Panel Code, 1860, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 against the perpetrators.

(6) Where the child was identified but is not found at the same place –

(a) The District Child Protection Unit shall inform about the same to the concerned Child Welfare Committee and District Magistrate.

(b) The District Magistrate shall order the Special Juvenile Police Units to initiate an inquiry into the search and whereabouts of the child

(c) Special Juvenile Police Units shall make all efforts to locate the whereabouts of the child.

(d) At the time of identification of children in street situations whether those children are alone or with families, it should be ensured that the families are not migrant families and that children are not going to relocate from that place.

(7) If the Child is Divyang –

(a) On the orders of the Child Welfare Committee, the Chief Medical Officer (CMO) will provide proper certificate to the child, using that the Divyang child is to be enrolled by the District Child Protection Unit for the schemes operational.

(b) On the order of Child Welfare Committee, the child shall be provided with disability specific supportive devices.

(c) Child Welfare Committee would order for the child's placement based on the nature of disability of the child in appropriate institutional care.

(d) District Child Protection Unit will take follow-up action with DSWO (District Social Welfare Officer) to place the child in the institution for Divyang children.

(e) Efforts will also be made for restoration and re-integration into the mainstream of society through appropriate means and interventions.

9. Role of Stakeholders –

Sl. No.	Stakeholder/ Related Departments	Description of work
(1)	(2)	(3)
1.	District Administration, Police, District Child Protection Unit, CWCs, Labour Department, Railways, Social Welfare Department, Urban Administration and Development Department, Food Department, Child Line, representatives of NGOs operational in the districts	Identification and rescue of the child
2.	District Education Officer (School Education Department) District Child Protection Unit, Social Welfare Department,	Enrolment/ admission of children in schools
3.	Department of Women and Child Development, District Child Protection Unit, District Women and Child Development Officer, Panchayat and Rural Development Department	Enrolment/ admission of children in Anganwadi
4.	Health Department	Health services/ Medical assistance/ Mental health services
5.	District Child Protection Unit, Social Welfare Department, Schedule Tribe and Schedule Caste Development Department, School Education Department, Health Department	Shelter in Fit-facility/ Shelter homes
6.	Labour Department, District Child Protection Unit (DWCD), Social Welfare Department,	Contravention/ Prohibition of Child Labour
7.	Special Juvenile Police Unit, Child Welfare Police Officer, District Child Protection Unit, Panchayat and Rural Development Department,	Protection from harassment, abuse and human trafficking
8.	District Administration, Police, District Child Protection Unit, Panchayat and Rural Development Department, Urban Administration and Development Department, District Legal services authority, Voluntary organisation	Supervision and monitoring of care and protection system for the children in street situation
9.	District Administration, Panchayat and Rural Development Department, Department of Women and Child Development, Labour Department, Social Welfare Department, National Rural Livelihoods Mission, District Child Protection Unit and all Line Departments	Linking children and their families with various schemes for the rehabilitation of children

Annexure-I

BASIC INDICATORS TO IDENTIFY "CHILDREN AT RISK" AND "VULNERABLE FAMILIES"

1. Out of School
2. Out of Aanganwadi
3. Family Condition:
   (a) Abandoned child
   (b) Divorcee/Widow Women
   (c) Disabled children
   (d) Disability in Family
   (e) Poor health conditions making the children vulnerable
   (f) Old age Parents
   (g) Families unable to obtain Gainful Employment
   (h) Relatives or family Members already Migrated and in street situations in Cities/Urban Areas
   (i) Families where children are survivors of trafficking
   (j) Families having Debts, loans, other such monetary liabilities etc.
   (k) Affected by natural calamities
   (l) Casualty in Family or death of earning member due to any reasons
   (m) Accident in Family
   (n) Marital Discords
4. Abuse in the Family: Misbehaviour/ Discrimination/Children Unhappy due to various Reasons
5. Families where alcoholism and/or addiction to other substances is prevalent
6. Family members accused of any violation of child rights ie. POCSO, JJ Act, Child Labour etc
7. Rag picker families
8. Children who are victim of Substance Use or Risk of Substance Use
9. Victim of Child Labour Activity in Village/nearby areas or possibility of getting indulged into child labour
10. History of Absconding/Running Away from Home
11. Economic deprivation condition of family which makes child vulnerable to trafficking
12. Children involved in beggary and rag-picking

Note: Above mentioned indicators are indicative.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BHUVNESH YADAV, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2022.